



पत्रांक: पी.आर.एस.यू./उ.कु.स/अन्य-151-ए/08/2018

दिनांक: 24.08.2019

### कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 764/सत्तर-1-2019- 16(37)/2017, दिनांक 23.07.2019 में ब्रिक्स सिविल फोरम के समक्ष 'Micro and Small Enterprises in BRICKS Economics Review and Recommendations for Advancement' पर प्रस्तुत की गयी संस्तुतियों के सम्बंध में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक, कृषि एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को कार्यवाही हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में "Entrepreneurship as a career prospect" से सम्बन्धित पाठ्यक्रम सम्मिलित किये जाने एवं "Aptitude Test to Determine Entrepreneurial Abilities" को सम्मिलित किये जाने की संस्तुतियां की गयी है। उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों एवं निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है।

"Entrepreneurship as a career prospect" के पाठ्यक्रम निर्माण हेतु कुलपति महोदया द्वारा दिनांक 22.08.2019 को प्रो० जे.एन. भार्गवा-वाणिज्य, सेवानिवृत्त, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद-मो०:9335150483 एवं प्रो. राजेश चन्द्रा, वाणिज्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद-9451323489 की एक समिति गठित कर दी गई है जो 4 कार्य दिवस के अंदर पाठ्यक्रम प्रस्तुत करेगी।

(श्रीमती दीप्ति मिश्रा)

उपकुलसचिव-शैक्षणिक

प्रतिलिपि: सूचनार्थ

01- माननीया कुलपति महोदया, सूचनार्थ

02- कुलसचिव महोदय, सूचनार्थ

03- एजेन्सी प्रभारी, इस आशय के साथ कि इसे वेबसाईट पर अपलोड करें।

उपकुलसचिव-शैक्षणिक